

स्वच्छ भूमिका चिकित्सा विभाग
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री
कल्याण मंत्री
कल्याण मंत्री

4670
14.11.18
DME
14.11.18
14.11.18
14.11.18

(Signature)
Post of the end date
09/11/18

DME

3
14/11/18

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/11/2018

क्रमांक एफ 12-10/2018/सत्रह/मेडि-3 : चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव अनुसार चिकित्सकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण के सुसंगत कार्य हेतु नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये जिन्नानुसार 01-01 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निम्न शर्तों पर प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाता है :-

क्रमांक	जिले का नाम	प्रशासनिक नियंत्रण हेतु जिले में स्थापित शासकीय चिकित्सालय का नाम	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4
1	रतलाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवन एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टी.आई.टी रोड	चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
2	छिन्दवाडा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरानाला एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्लाधाना	चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाडा
3	शिवपुरी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लुकवासा एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जवाहरनगर	चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी
4	विदिशा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहमदपुर एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करैयाखेडा	चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा
5	शहडोल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंचनपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहडोल	चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल
6	खंडवा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिंहाडा एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर	चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा
7	दतिया	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोनी एवं अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छल्लापुरा	चिकित्सा महाविद्यालय दतिया

प्रशासनीक नियंत्रण हेतु नियम एवं शर्त :-

1. चिकित्सालयों में संचालित स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्त गतिविधियों पर स्वास्थ्य विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

2. चिकित्सालयों में संचालित चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त गतिविधियों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(बी. आर. सुनहरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-10/2018/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 12/11/2018

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद, पॉकेट-14, सेक्टर-8 द्वारा फेस-1 नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, कार्यालय मुख्य मंत्री, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालया, मंत्रालय भोपाल।
5. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी /राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण /चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
6. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण /चिकित्सा शिक्षा विभाग,
7. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश / चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश। **(कृपया ब्लैकसाइट पर अप्लोड भरें)**
8. संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष, स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल/रत्लाम – उज्जैन संभाग / छिन्दवाडा – जबलपुर संभाग/ शिवपुरी -ग्वालियर संभाग/ विदिशा – भोपाल संभाग/ खण्डवा – इन्दौर संभाग/ दतिया – ग्वालियर संभाग, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. कलेक्टर जिला रत्लाम, छिन्दवाडा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा एवं दतिया, मध्यप्रदेश।
11. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जिला रत्लाम, छिन्दवाडा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा एवं दतिया, मध्यप्रदेश।
12. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश / चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

13. अपर संचालक, प्रशासन / वित्त स्वारथ्य सेवायें / चिकित्सा शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
14. क्षेत्रीय संचालक स्वारथ्य सेवायें, संभाग भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर मध्यप्रदेश।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी, जिला रत्लाम, छिन्दवाडा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा एवं दतिया, मध्यप्रदेश।
16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रत्लाम, छिन्दवाडा, शिवपुरी, विदिशा, शहडोल, खण्डवा एवं दतिया, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
17. गार्ड फाइल।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग